सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 42/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामनारायण पुत्र रामविलास लोहार निवासी खवास तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. किशनगोपाल पुत्र रामविलास लोहार निवासी खवास तहसील केकडी जिला अजमेर
2. रामकिशन पुत्र शिवदास जाति महाजन निवासी कादेडा तह. केकडी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–22.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प खवास में पेश हुई। वादी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता स. 695 के खसरा नम्बर 987, 1007, 1008, 2350, किता 4 कुल रकबा 3.00है. ग्राम शेषपुरा की जमाबन्दी स. 2070–73 के खाता स. 225 के खसरानम्बर 300 , 305,किता 2 कुल रकबा 1.04 है. भूमि में वादी का 2/3 हिस्से पर एंव प्रतिवादी स. 1 व 2 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। इसी अनुसार काबिज है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। प्रतिवादी गण की नियत बद होने से आये दिन लडाई झगडे पर उतारू रहते हे। वादी की कब्जे काश्त की आराजीयात से वादी को बेदखल एवं बेचान करने पर आमादा है। जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी स. 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी स. 1 की और से अधिवक्ता श्री निर्मल चौधरी उप.। प्रतिवादी स. 2 द्वारा सहमति पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स. 1 को जवाब हेतु कई मोके दिये गये। प्रतिवादी स. 1 का आज तक कोई जवाब पेश नहीं।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट खवास में पेश हुयी। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता स. 695 के खसरा नम्बर 987, 1007, 1008, 2350, किता 4 कुल रकबा 3.00है. ग्राम शेषपुरा की जमाबन्दी स. 2070–73 के खाता स. 225 के खसरा नम्बर 300 , 305, किता 2 कुल रकबा 1.04 है. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त ,में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा न ही फसल को नष्ट भ्रष्ट करें एवं साथ ही बेचान इत्यादि कोई कार्य नही करें। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी